Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री/टी.ए./5366/2005/हनुमानगढ

(2) अपील डिक्री/टी.ए./6278/2005/हनुमानगढ

1. मु0राधा पत्नी स्व0 श्री राजाराम
2. आत्माराम पुत्र राजाराम
3. वेदप्रकाश पुत्र राजाराम
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र राजाराम
5. उदयपाल पुत्र राजाराम
6. विमला पुत्री राजाराम
7. सुमित्रा पुत्री राजाराम
   समस्त जाति सुथार निवासी कोल्हा तहसील व जिला हनुमानगढ
8. मु0भगवानी पत्नी गंगाराम (मृतक) जरिये वारिसान–
   8/1. गुड्डी देवी पुत्री गंगाराम
   8/2. गौरीशंकर पुत्र गंगाराम
   8/3. बाबूलाल पुत्र गंगाराम
   8/4. विमलादेवी पुत्री गंगाराम
   8/5. शिमलादेवी पुत्री गंगाराम
   8/6. योगेशचंद पुत्र गंगाराम
   8/7. बलवन्तराम पुत्र गंगाराम
   समस्त जाति सुथार निवासी खिनानिया
   तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
9. मु0रूकमा पत्नी श्योचंद पुत्री मोतीराम जाति सुथार निवासी रामगढ
   तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

....अपीलांट्स

बनाम

1. भादरराम पुत्र मोतीराम
2. रूपराम पुत्र मोतीराम
   जाति सुथार निवासी कोल्हा तहसील व जिला हनुमानगढ
3. अमरचंद पुत्र मनफूलराम
4. सुभाषचंद पुत्र मनफूलराम
   जाति सुथार निवासी सूमेज कोठा तह0रायसिंहनगर जिला गंगानगर
5. मु0भागो पुत्री मनफूलराम पत्नी रामस्वरूप जाति सुथार निवासी फेफाना
   तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. मु0जयकोरी पुत्री मनफूलराम पत्नी बुधराम जाति सुथार निवासी फेफाना
   तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

7. मु0नोमा पुत्री मनफूलराम पत्नी ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला गंगानगर

8. मु0सुमित्रा पुत्री मनफूलराम पत्नी मदनलाल जाति सुथार निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला गंगानगर

9. मु0कमला पुत्री मनफूलराम पत्नी हरीराम जाति सुथार निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला गंगानगर

10. मु0परमेश्वरी पुत्री मोतीराम पत्नी पतराम (मृतक) जरिये वारिसान–

10/1. गौरीशंकर पुत्र पतराम
10/2. रविन्द्र पुत्र पतराम
10/3. महेन्द्र कुमार पुत्र पतराम
10/4. बलवीर पुत्र पतराम
10/5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पतराम
10/6. मनोज कुमार पुत्र पतराम
10/7. जयचंद पुत्र पतराम
समस्त जाति सुथार नि0नीमला तह0ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा

10/8. गीतादेवी पुत्री पतराम पत्नी ओमप्रकाश सुथार निवासी ग्राम बंशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ

12. मखनसिंह पुत्र सरदारासिंह (मृतक) जरिये वारिसान–

12/1. गुरदीपसिंह पुत्र मखनसिंह
12/2. राजवीरसिंह पुत्र मखनसिंह
12/3. सुन्द्रपालकौर पुत्री मखनसिंह
12/4. भूपेन्द्रकौर पुत्री मखनसिंह
12/5. जसमेलकौर पत्नी मखनसिंह
समस्त जाति रामगढिया सिख सीलूवालादास जाट धर्मशाला के पास हनुमानगढ टाऊन हनुमानगढ

.... रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक अपीलांट
श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक 22.3.2018

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 80/2004 एवं 61/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–9–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. उक्त दोनों अपीलों के तथ्य, विषय वस्तु एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट/वादी रूपराम ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मोतीराम पुत्र गिरधारी का देहान्त दिनांक 20–11–93 को हो चुका है। मोतीराम के धारण में 51 बीघा खातेदारी कृषि भूमि थी। उक्त भूमि उन्हें अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी। मोतीराम के धारण की भूमि में से 45 बीघा विरासतन मिली थी व 5 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा भाखडा आवंटन नियमों के तहत निशुल्क आवंटित की गई थी एवं 1 बीघा भूमि निलामी में खरीद की थी। मोतीराम के जीवनकाल में ही उसके चारों पुत्र भादर, मनफूल, राजाराम व रूपराम ने घराघरू बंटवारा कर लिया था व बंटवारा अनुसार 10.10 बीघा भूमि पर मोतीराम व उसके चारों पुत्र काश्त करते रहे। मोतीराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में छोड दिया। वादी ने अपने हिस्से की भूमि में से 2 बीघा भूमि विक्रय कर दी। वादी ने वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 का 1/5 हिस्सा एवं मोतीराम के 1/5 हिस्सा में से उसके सातों वारिसों का बहिस्सा बराबर प्रत्येक का 1/7 हिस्सा होने का कथन किया व वाद में उक्त हिस्सा अनुसार घोषणा, खाता विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा चाही। प्रतिवादी संख्या 1,3,4 व 5 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 2, 11 ता 13 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावा व

जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम की एवं पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज कर निर्णय दिनांक 10–3–2004 द्वारा वाद डिक्री करते हुए मोतीराम के धारण की कुल 51 बीघा भूमि में से 45 बीघा भूमि को पैतृक सम्पत्ति तथा 6 बीघा भूमि को स्वअर्जित सम्पत्ति माना व 45 बीघा भूमि में से मोतीराम के चारों पुत्रों प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अर्थात् 9 बीघा हिस्सा माना व मोतीराम के हिस्से की 9 बीघा एवं 6 बीघा स्वअर्जित कुल 15.1 बीघा भूमि में उसके चारों पुत्रों व तीन पुत्रियों प्रत्येक का 1/7 हिस्सा मानकर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पक्षकारान द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में दो अपीलें, अपील संख्या 80/2004 मु0 रूकमा व अन्य बनाम भादरराम व अन्य एवं अपील संख्या 61/2004 भादरराम बनाम रूपराम व अन्य प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ ने उक्त दोनों अपीलों को आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–9–2005 द्वारा एक साथ निर्णित करते हुए अपील रूकमा बनाम भादरराम खारिज कर दी एवं अपील भादरराम बनाम रूपराम को स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–3–2004 को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया एवं विभाजन की हद तक वाद प्राथमिक रूप से डिक्री करते हुए तहसीलदार हनुमानगढ को विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष भिजवाने का आदेश पारित किया। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानढ द्वारा अपील संख्या 80/2004 एवं 61/2004 में पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–9–2005 के विरूद्ध अपीलांट पक्ष की ओर से इस न्यायालय के समक्ष क्रमशः अपील संख्या 5366/2005 एवं 6278/2005 पेश की गई हैं।

4. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सम्मानित न्यायिक विनिश्चय 2012 (1) RRT 350 का आदरपूर्वक अवलोकन किया। तत्पश्चात हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

5. मोतीराम का देहान्त 20–11–93 को हुआ और दावा दिनांक 6–5–95 को पेश किया गया है। निर्विवाद रूप से मोतीराम के 7 संतानें होना बताया गया है, जिनमें भादरराम, मनफूलराम, राजाराम व रूपराम 4 पुत्र और

भगवानी, रूकमा व परमेश्वरी 3 पुत्रियां हैं। मोतीराम के जीवनकाल में घरू बंटवारा होने की बात उल्लेखित करके आ रहे हैं लेकिन इसकी कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं की है। चूंकि मोतीराम निर्वसीयत सन 1993 में फोत हो गया इसलिए उसे जो भी आराजी, चाहे वो पैतृक सम्पत्ति के रूप में हो चाहे उसके स्वअर्जित सम्पत्ति के रूप में हो, प्राप्त हुई है उस आराजी का विभाजन उसके उत्तराधिकारियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये जाने योग्य है। चूंकि प्रकट किये गये तथ्यों के अनुसार मोतीराम के 7 विधिक उत्तराधिकारी 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां बतायी गई हैं अतः मोतीराम की मृत्यु के पश्चात विवादित समस्त आराजी में प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा बनता है। 2012 (1) RRT 350 Ganduri Kiteshwaramma & Anr. vs. Chakiri Yanadi & Anr. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित मतानुसार पुत्रियों का भी हिस्सा बनता है, इसलिये वो भी बराबर की हिस्सेदार हैं। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय हैं।

6. अतः उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलांट्स स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 80/2004 एवं अपील संख्या 61/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–9–2005 तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा वाद संख्या 68/2003 पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–3–2004 अपास्त किये जाते हैं एवं वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 11 लगायत 13 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि स्वर्गीय मोतीराम के हक व हिस्से की 51 बीघा भूमि में मोतीराम के विधिक वारिसान–(1)भादरराम, (2)मनफूलराम, (3)राजाराम, (4)रूपराम, (5)भगवानी, (6)परमेश्वरी, (7)रूकमा प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बनता है। उपरोक्त वारिसान की स्थिति में उनके जो भी विधिक वारिसान हैं, वे उपरोक्तानुसार अपने–अपने हिस्से में से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उपरोक्तानुसार मोतीराम के 7 वारिसान प्रत्येक को 1/7 हिस्से का हकदार घोषित किया जाता है। विभाजन की हद तक वाद व काउन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाते हैं। संबंधित तहसीलदार, जिसके हल्के में विवादित भूमि

स्थित है, को आदेश दिया जाता है कि भूमि की अच्छी मंदी के आधार पर पक्षकारों में न्यायोचित तरीके से काश्तकारी नियमों की पालना को देखते हुए विभाजन प्रस्ताव इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर तैयार करके विचारण न्यायालय के समक्ष भिजवावें। उपरोक्तानुसार वाद एवं काउन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें। पक्षकारान को हिदायत दी जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04–5–2018 को आवश्यक रूप से उपस्थित होंवे और विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करके प्रकरण में आगे विधि अनुसार अग्रसर होंवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य